III/निग०/सतना/भू-रा०/2017/3431

(95)

320

~1~

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा मध्यप्रदेश</u>

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित — बीस रुपये TWENTY RUPEES — 5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 30/-

श्रीमती ममता शर्मा पत्नी अनिल कुमार शर्मा सा० घुंघुचिहाई तह० कोटर जिला सतना मध्यप्रदेश ....निगराकार

बनाम

1. बृजबिहारी द्विवेदी पिता रामप्रकाश द्विवेदी
2. अंजनी प्रसाद द्विवेदी पिता रामप्रकाश द्विवेदी दोनों निवासी ग्राम घुंघुचिहाई तह० कोटर जिला सतना मध्यप्रदेश ....गैरनिगराकार

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०</u>
निगरानी विरूद्ध निर्णय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह० रामपुर बाघेलान जिला सतना मध्यप्रदेश के प्रकरण कमांक <u>127 अपील/16—17 आदेश दिनांक 5.8.17,</u>

आवेदिका ममता शर्मा द्वारा पेश 21-9-17
कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (लिंक कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विनयी है:—

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

यह कि मौजा घुंघुचिहाई तह०कोटर जिला सतना अन्तर्गत स्थित आराजी खसरा कमांक 530/1 रकवा 0.798हे० आवे०/निगराकार के भूमिस्वामीस्वत्व की भूमि है जिससे लगी अना०/गैरनिगराकार की भूमि है जिन्होंने सीमांकन नहीं कराया, और आवे०/निगराकार की आराजी के जुज रकवा 45 बाई 10 वर्गफिट पर अवैध ढंग से हिंसा के बल पर विद्यालय भवन का निर्माण जबरजस्ती कराया जाने लगा, जिसे रोके जाने एव

ममता शर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/2017/3431 जिला–सतना

श्रीमती ममता शर्मा/ कृष्ण बिहारी द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 127/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	